न्यायालय जिला कलक्टर, एवं जिला पंजीयक, अजमेर

पंजीयन अपील संख्या – 02/2012

भँवरसिंह चौहान पुत्र श्री कानसिंह चौहान, जाति राजपूत, निवासी 150, दीपकुंज आदर्श नगर, गली नम्बर–1, ब्यावर जिला–अजमेर। .....अपीलान्ट

बनाम

उप पंजीयक, अजमेर–प्रथम जिला अजमेर। .....रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :– 1.श्री अजीतसिंह राठौड अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री शुभकरण सिंह चौधरी अभिभाषक रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 68(2) पंजीयन अधिनियम

आदेश **दिनांक – 28.06.2017**

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि चर्च ऑफ नार्दन इण्डिया ट्रस्ट एसोसिएशन के स्मामित्व का मिशन कम्पाउण्ड, अजमेर स्थित भूखण्ड 353 वर्ग गज का श्री शेले पोल पुत्र श्री एस.पी.पोल, सचिव डायोसिस कमेटी सम्पति एवं श्री जस्टिन बोनीफेस पुत्र श्री जे.एम. बोनीफेस द्वारा उक्त भूखण्ड जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 25.11.2009 द्वारा प्रार्थी को विक्रय कर दिया एवं दिनांक 26.11.2009 को उप पंजीयक, अजमेर द्वारा पुस्तक सं0 01 जिल्द सं0 1687 पृष्ठ सं0 184 क्रम संख्या 2009004942 एवं अतिरिक्त पुस्तक संख्या 01 जिल्द संख्या 3743 पृष्ठ सं0 347 से 360 पर पंजीयन कर दस्तावेज प्रार्थी को लौटा दिया। उप पंजीयक, अजमेर द्वारा धारा 39 के तहत उक्त दस्तावेज के पेज संख्या 8 के पृष्ठ भाग पर अंकित नोट–Not : (u/s 39)- Tital Disputed UCITA Head Office Bombay has Claimed to be the only Party to have. के विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को नोटिस जारी किये व अधिनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित आये। पर्याप्त अवसर उपरान्त भी वांछित रेकार्ड/जवाब रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये। अपीलान्ट द्वारा सुनवाई चाहने पर उपस्थित उभय पक्ष को सुना गया।

वकील अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहरातें हुए कथन किया कि चर्च ऑफ नार्दन इण्डिया ट्रस्ट एसोसिएशन के स्मामित्व का मिशन कम्पाउण्ड, अजमेर स्थित भूखण्ड 353 वर्ग गज का श्री शेले पोल पुत्र श्री एस.पी.पोल, सचिव डायोसिस कमेटी सम्पति एवं श्री जस्टिन बोनीफेस पुत्र श्री जे.एम. बोनीफेस द्वारा उक्त भूखण्ड जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 25.11.2009 द्वारा प्रार्थी को विक्रय कर दिया एवं दिनांक 26.11.2009 को उप पंजीयक, अजमेर द्वारा पुस्तक सं0 01 जिल्द सं0 1687 पृष्ठ सं0 184 क्रम संख्या 2009004942 एवं अतिरिक्त पुस्तक संख्या 01 जिल्द संख्या 3743 पृष्ठ सं0 347 से 360 पर पंजीयन कर दस्तावेज प्रार्थी को लौटा दिया। उप पंजीयक, अजमेर द्वारा धारा 39 के तहत उक्त दस्तावेज के पेज संख्या 8 के पृष्ठ भाग पर अंकित नोट–Not : (u/s 39)- Tital Disputed UCITA Head Office Bombay has Claimed to be the

28/06/17
जिला कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

only Party to have. अपीलान्ट को सूचित किये बिना अंकित किया गया। नोट को तर्क किये जाने हेतु महानिरीक्षक, पंजीयन, अजमेर को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर जानकारी में आया कि श्री के0ए0लाल नामक व्यक्ति द्वारा उपमहानिरीक्षक, अजमेर को शिकायत प्रस्तुत की थी। जिसकी तथ्यात्मक रिपोर्ट उप पंजीयक प्रथम द्वारा उप महानिरीक्षक, अजमेर को प्रेषित की गई थी। श्री क0ए0लाल का स्वर्गवास हो चुका है। उक्त भूखण्ड से लगते हुए भूखण्डो का बेचान भी इसी प्राईमिसेस से हुए थे। आपसी हितो को लेकर यह शिकायत प्रस्तुत की गई हैं। तथा शिकायतकर्ता की मृत्यु हो चुकी है। अतिरिक्त महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, अजमेर के आदेश की पालना में यह अपील धारा 68(2)के तहत प्रस्तुत की गई है जिसके अनुसार Every Registrar shall have authority to issue (whether on complaint or other wise) any order consistent with this Act Which he considers necessary in respect of any act or omission of any Sub-Registrar sub ordinate to him or in respect of the rectification of any error regarding the book or the office in which any document has been registered. अतः उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलान्ट के हक में निष्पादित पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 26.11.2009 के पेज सं0 8 के पृष्ठ भाग पर अंकित नोट यथा– Not : (u/s 39)- Tital Disputed UCITA Head Office Bombay has Claimed to be the only Party to have. को तर्क फरमाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

जवाब में पैरोकार सरकार ने निवेदन किया कि अपीलान्ट द्वारा पंजीयन हेतु प्रस्तुत विक्रय दस्तावेज बाबत श्री के0ए0लाल द्वारा प्रस्तुत लिखित शिकायत/बयानात के आधार पर प्रश्नगत विक्रय पत्र दिनांक 26.11.09 पंजीबद्ध किया जाकर राजस्थान पंजीयन नियम 1955 के नियम 39 के तहत आपत्ति का इन्द्राज किया गया है। अतः उप पंजीयक अजमेर प्रथम द्वारा की गई कार्यवाही नियमानुसार की गई है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावें।

हमने उभयपक्ष की बहस पर ध्यान पूर्वक मनन किया रिकार्ड पत्रावली का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत विक्रय दस्तावेज बाबत उप पंजीयक अजमेर प्रथम को प्राप्त लिखित शिकायत एवं बयानात के आधार पर राजस्थान पंजीयन नियम 1955 के नियम 39 के तहत बाद पंजीयन दस्तावेज पर आपत्ति का इन्द्राज किया गया है। उप पंजीयक अजमेर प्रथम द्वारा सम्पादित कार्यवाही में हस्तक्षेप किये जाने का कोई ठोस आधार प्रकट नहीं है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है।

आदेश आज दिनांक 28.06..2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

28/06/17

(गौरव गोयल)
जिला कलक्टर एवं जिला पंजीयक
अजमेर

Scanned by CamScanner